भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1603
7 दिसंबर, 2021 को उत्तर देने के लिए

एफपीआई में महिला स्व-सहायता समूह

1603. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री रवि किशन:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री बिद्‌युत बरन महतो:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) के क्षेत्र में देश के गांवों से जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कार्य किया गया है;

(ग) क्या मंत्रालय ने उक्त प्रयोजनार्थ कोई निधि स्वीकृत और जारी की है और यदि हां तो पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देशभर में एफपीआई के क्षेत्र में कार्यरत महिला स्व-सहायता समूहों की कुल राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ड़) क्या सरकार 'आत्मनिर्भर नारीशक्ति से संवाद' पहल के तहत महिलाओं के लिए अवसरों में वृद्धि करना चाहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे स्व-सहायता समूहों की स्थापना से एफपीआई के क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार सृजित होने की संभावना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजनाओं के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में संलग्न महिला स्वयं सहायता समूहों सहित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सहायता प्रदान कर रहा है। केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के तहत मंत्रालय एसएचजी के प्रति सदस्य को 40,000/- रुपये तक की प्रारंभिक पूंजी के लिए अनुदान प्रदान करता है। व्यक्तिगत एसएचजी सदस्य खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की एकल यूनिट के रूप में 10 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत के 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। एसएचजी केंद्रीय क्षेत्र की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की प्रासंगिक घटक योजनाओं के तहत सहायता के लिए भी पात्र हैं।

(ग): पीएमएफएमई का प्रारंभिक पूंजी घटक संबंधित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। एसआरएलएम द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार एमओएफपीआई द्वारा 32245 एसएचजी सदस्यों का समर्थन करने के लिए 107.29 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिन्होंने प्रारंभिक पूंजी समर्थन के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(घ) से (च): मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के समर्थन से बीज पूंजी अनुप्रयोगों के लिए महिला एसएचजी उद्यमों सहित एसएचजी उद्यमों की पहचान करता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पहचाने गए एसएचजी उद्यमों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है। पीएमएफएमई योजना के तहत प्रारंभिक पूंजी अनुप्रयोगों के लिए पहचाने गए सभी एसएचजी सदस्यों के नियोजित होने की संभावना है।

****

संलग्नक

एफपीआई में महिला स्व-सहायता समूह के बारे में दिनांक 07.12.2021 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 1603 के भाग (घ) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

पीएमएफएमई के तहत चिन्हित खाद्य प्रसंस्करण गतिविधि में लगे स्वयं सहायता समूहों की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	एनआरएलएम		एनयूएलएम		कुल	
		एसएचजी एंटरप्राइज चिन्हित	एसएचजी एंटरप्राइज में सदस्यों की संख्या चिन्हित	एसएचजी एंटरप्राइज चिन्हित	एसएचजी एंटरप्राइज में सदस्यों चिन्हित	एसएचजी एंटरप्राइज चिन्हित	एसएचजी एंटरप्राइज में सदस्यों चिन्हित
1	अण्डमान और निकोबार	47	47	0	0	47	47
2	आंध्र प्रदेश	7438	7826	670	670	8108	8496
3	अरुणाचल प्रदेश	1435	2371	0	0	1435	2371
4	असम	3563	5744	0	0	3563	5744
5	बिहार	1869	1873	0	0	1869	1873
6	छत्तीसगढ	2028	9356	0	0	2028	9356
7	गोवा	137	202	0	0	137	202
8	गुजरात	941	1886	0	0	941	1886
9	हरियाणा	83	83	0	0	83	83
10	हिमाचल प्रदेश	251	251	34	34	285	285
11	जम्मू और कश्मीर	96	96	0	0	96	96
12	झारखंड	873	893	0	0	873	893
13	कर्नाटक	2273	2282	0	0	2273	2282
14	केरल	1370	2974	0	0	1370	2974
15	मध्य प्रदेश	2773	5958	0	0	2773	5958
16	महाराष्ट्र	3051	6423	20	37	3071	6460
17	मणिपुर	16	27	0	0	16	27
18	मेघालय	505	784	0	0	505	784
19	मिजोरम	967	1038	0	0	967	1038
20	नगालैंड	236	1218	0	0	236	1218
21	ओडिशा	5180	8542	0	0	5180	8542
22	पुदुच्चेरी	402	402	0	0	402	402
23	पंजाब	479	508	0	0	479	508
24	राजस्थान	1405	1734	0	0	1405	1734
25	सिक्किम	187	301	0	0	187	301
26	तमिलनाडु	282	282	210	210	492	492
27	तेलंगाना	8963	9012	540	540	9503	9552
28	त्रिपुरा	597	597	21	21	618	618
29	उत्तराखंड	162	544	0	0	162	544
30	उत्तर प्रदेश	1286	2244	0	0	1286	2244
		48895	75498	771	771	49666	76269